

दिनांक:—29.08.2019

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी प्रार्थना—पत्र चलाना नहीं चाहता है। अतः दिनांक 16.04.2019 को जारी एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जरिये Withdraw खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

